

समस्त छात्रावास अभिरक्षक (पुं+मं): समस्त नोटिस बोर्ड पर-कंपा

में एवं आदेश के अन्तर्गत  
प्रक्रिया अमल में लीये।



गौतम बुद्ध

21X05X24

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, छात्र कल्याण  
गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय  
ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)

GBU/15/CW/006/20117-282

Dated 25 May 2017

:: कार्यालय आदेश ::

सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय छात्रावासों में आगामी शैक्षिक सत्र से निवासरत छात्र/छात्राओं को उनके स्वयं द्वारा कय किया गया विद्युत कूलर्स का उपयोग करने हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. छात्र/छात्राओं को कूलर प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित छात्रावास के छात्रावास अभिरक्षक से लिखित अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।
2. सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही रु0 2500/- विद्युत शुल्क के रूप में दिया जाना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त कूलर के प्रयोग की अनुमति दी जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इस सम्बन्ध में जारी होने वाले अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

(मनोज राय)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. मा0 कुलपति महोदय के निजी सचिव को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य छात्रावास अभिरक्षकों (पुरुष/महिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त छात्रावास अभिरक्षकों/सहायक छात्रावास अभिरक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निदेशक (कार्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक कुल सचिव को सूचनार्थ।
8. सम्बन्धित/गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Chief Warden Office

Received

Date 25/5/17

Gautam Buddha University, Gr. Noida